पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

11 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों के हित में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'पत्रकार पेंशन योजना' के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि में अब केंद्र सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार डीए में की जाने वाली वृद्धि के अनुपात में वृद्धि की जाएगी।
- विदित है कि 26 अक्टूबर, 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'पत्रकार पेंशन योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
- इस योजना के लिये पात्रता मानदंड के अनुसार पत्रकारों को 20 साल का अनुभव तथा 5 साल की अवधि के लिये हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।
- इसके अलावा, पत्रकारों के लिये बीमा योजना, हरियाणा परिवहन बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के साथ-साथ हर ज़िले में मीडिया केंद्र भी स्थापित किये गए हैं, ताकि मीडियाकर्मी बिना किसी असुविधा के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/increase-in-monthly-pension-amount-given-to-journalists